भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या*172
दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतें

*172 श्री अरुण गोविलः
श्री लुम्बाराम चौधरीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास का आधार होने के बावजूद विशेषकर मेरठ जिले सहित जिलावार ढांचागत विकास कार्यों में पिछड़ रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजस्थान के जालौर सिरोही में कई ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कारणों तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने/निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अक्षमता, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में देरी और पंचायतों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के धीमे प्रयास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है;

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजस्थान में जिलावार ग्राम पंचायतों को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का ई-गवर्नेंस को अनिवार्य बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जालौर सिरोही सहित राजस्थान में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके पास अपना भवन, कंप्यूटर, बैठक कक्ष बिजली की व्यवस्था नहीं है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

'ग्राम पंचायतों' के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 172 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के माध्यम से पंचायतों में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण की दिशा में राज्यों और ग्राम पंचायतों के प्रयासों को पूरा करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों तथा स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान में लगातार वृद्धि हो रही है। 13वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2010-15) के तहत आवंटन 64408 करोड़ रुपये था और 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) के तहत आवंटन 236805 करोड़ रुपये है जो 13वें वित्त आयोग के आवंटन का लगभग 4 गुना है।

13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के लिए आवंटन का विवरण निम्नानुसार है: -

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	**वि.आ.-XIII (वित्त वर्ष 2010-15)**	**वि.आ.-XIV (वित्त वर्ष 2015-20)**	**वि.आ.-XV (वित्त वर्ष2021-26)**
उत्तर प्रदेश	9904.87	35776.57	38012.00
राजस्थान	4016.09	13633.64	15053.00

हालाँकि, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, पंचायत, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की राज्य सूची का भाग है। भारत के संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243 में उल्लिखित अधिदेश के अनुसार पंचायतों के तीन/(दो) स्तरों की स्थापना करना राज्य का काम है। पंचायतों को कार्य, निधि और कर्मीतथाअवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकारों कादायित्व है।

राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत राज्य पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव और विकास के लिए भी धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राम पंचायतें इन निधियों का उपयोग बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव और विकास सहित 29 विषयों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए करती हैं।

राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) और राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के तहत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजस्थान के जालोर-सिरोही जिले में पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

ज़िला	ग्राम पंचायत		क्षेत्र/ब्लॉक पंचायत		जिला पंचायत		कुल	
	सीएफसी	एसएफसी	सीएफसी	एसएफसी	सीएफसी	एसएफसी	सीएफसी	एसएफसी
मेरठ (उत्तर	60.94	61.74	13.06	13.56	13.06	13.97	87.06	89.27

प्रदेश)								
जालौर (राजस्थान)	44.1692	61.0513	11.7765	18.4752	2.9441	4.6188	174.12	178.54
सिरोही (राजस्थान)	26.6293	36.8074	7.10	11.1386	1.7750	2.7846	58.8898	84.1453

पंचायती राज मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें प्रभावी हस्तांतरण, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के क्षमता निर्माण आदि पर समय-समय पर राज्यों को दिशानिर्देश/एडवाइजरी प्रदान करना शामिल है।

यह मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को भी लागू कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना है। इस योजना में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपी स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ समग्र और समावेशी ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम(जीपीडीपी) तैयार करने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि करने की क्षमता को बढ़ाना भी है और पंचायतों में आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए अंतर को पूरा करने से संबंधित सुधार करना है।

प्रशिक्षण के अलावा, आरजीएसए के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करने तथा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर जैसी पंचायत अवसंरचना तैयार करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) में सुधार के लिए विभिन्न उपाय करने में राज्य सरकारों की सहायता करना रही है। इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के ओएसआर स्तरों में सुधार के लिए उनके और पंचायतों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में राज्यों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं। अन्य पंचायतों को उनकी सर्वश्रेष्ठ कार्यों से सीखने के लिए विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाले जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायतों पर प्रकाश डालने वाले समर्पित प्रस्तुति सत्र भी आयोजित किए गए हैं। एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है जिसने ओएसआर को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान किया जाएगा।

(घ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने पंचायत के नियोजन, लेखांकन और बजटन जैसे कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज शुरू किया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में जिलेवार प्रगति क्रमशः **अनुलग्नक-II** और **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत एप्लिकेशन में पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाना है।

इसके अलावा, पंचायतों के खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन विकसित की गई है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के निधि के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग के लिए ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत अप्रैल,2020 में की गई। लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए, पंचायती राज संस्थानों द्वारा 2.58 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और 2.57 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

(ङ) सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस को अनिवार्य बना दिया है। विशेष रूप से, ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) को पंचायतों द्वारा सभी केंद्रीय वित्त आयोग निधि व्यय तैयार करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता बना दिया गया है। 2.63 लाख से अधिक पंचायतें इसमें शामिल हो चुकी हैं और विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों में डिजिटल लेनदेन के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग हो रहा हैं, जिससे वास्तविक समय पर निधि ट्रैकिंग और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

(च) राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में कुल 11192 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें जालोर-सिरोही की 304-170 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन, कम्प्यूटर, बैठक कक्ष और बिजली की सुविधा है। इन ग्राम सचिवालयों में कम्प्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं और ग्राम पंचायतों के सभी भुगतान इन्हीं कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे हैं। नवगठित ग्राम पंचायतों में स्वयं के भवन आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानयोजना के तहत, स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरों की संख्या की राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक –IV** में दी गई है। इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंचायत भवन और कंप्यूटर रहित ग्राम पंचायतों का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनानेका राज्यवारविवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या एवं समतुल्य	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13327	13296	12946	660	660	640	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	196	0	0	0	27	25	8
3	असम	2665	2197	2175	191	191	188	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11623	11594	11513	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14674	14597	13816	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6222	5883	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3526	81	81	80	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4324	264	264	262	24	24	23
11	कर्नाटक	5948	5954	5937	238	232	122	31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22976	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27952	27882	26548	351	351	305	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	123	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6838	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	843	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1315	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13236	13222	9503	152	151	112	22	22	19
21	राजस्थान	11193	11207	10804	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	194	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12518	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12860	12768	12632	540	540	505	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1176	1171	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7788	7794	7730	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57578	826	826	818	75	75	75

28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**264306**	**251905**	**242134**	**8658**	**6402**	**6119**	**652**	**642**	**611**

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान में पंचायत स्तर पर ई-ग्राम स्वराज को जिलेवार अपनाने का विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत एवं समकक्ष	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	शामिल ग्राम पंचायत (ईजीएस - पीएफएमएस)
1	अजमेर	324	324
2	अलवर	552	552
3	बांसवाड़ा	417	417
4	बारन	228	228
5	बाड़मेर	688	688
6	भरतपुर	400	400
7	भीलवाड़ा	396	396
8	बीकानेर	366	366
9	बूंदी	182	182
10	चित्तौड़गढ़	298	298
11	चुरू	304	304
12	दौसा	279	279
13	धौलपुर	188	188
14	डूंगरपुर	352	352
15	गंगानगर	344	344
16	हनुमानगढ़	268	268
17	जयपुर	583	583
18	जैसलमेर	206	206
19	जालौर	305	305
20	झालावाड़	254	254
21	झुंझुनू	334	334
22	जोधपुर	618	618
23	करौली	240	240
24	कोटा	155	155
25	नागौर	497	497
26	पाली	338	338
27	प्रतापगढ़	233	233
28	राजसमंद	213	213
29	सवाई माधोपुर	224	224
30	सीकर	373	373
31	सिरोही	170	170
32	टोंक	235	235
33	उदयपुर	643	643
कुल		**11207**	**11207**

अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को जिलेवार अपनाने का विवरण

क्र.सं.	जिला पंचायत एवं समकक्ष	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	शामिल ग्राम पंचायत (ईजीएस - पीएफएमएस)
1	आगरा	690	690
2	अलीगढ़	852	852
3	अंबेडकर नगर	899	899
4	अमेठी	682	682
5	अमरोहा	576	576
6	औरैया	477	477
7	अयोध्या	772	772
8	आजमगढ़	1811	1811
9	बागपत	244	244
10	बहराइच	1041	1041
11	बलिया	940	940
12	बलरामपुर	793	793
13	बाँदा	469	469
14	बाराबंकी	1155	1155
15	बरेली	1188	1188
16	बस्ती	1185	1185
17	बिजनौर	1123	1123
18	शाहजहांपुर	1037	1037
19	बुलंदशहर	946	946
20	चंदौली	734	734
21	चित्रकूट	328	328
22	देवरिया	1121	1121
23	एटा	569	569
24	इटावा	469	469
25	फर्रुखाबाद	580	580
26	फतेहपुर	816	816
27	फिरोजाबाद	564	564
28	गौतम बुद्ध नगर	82	82
29	गाजियाबाद	142	142
30	गाजीपुर	1238	1238
31	गोंडा	1192	1192
32	गोरखपुर	1273	1273
33	हमीरपुर	330	330
34	हापुड़	273	273
35	हरदोई	1293	1293
36	हाथरस	462	462

37	जालौन	574	574
38	जौनपुर	1734	1734
39	झांसी	496	496
40	कन्नौज	499	499
41	कानपुर देहात	618	618
42	कानपुर नगर	590	590
43	कासगंज	423	423
44	कौशाम्बी	451	451
45	खेरी	1164	1164
46	कुशीनगर	980	980
47	ललितपुर	415	415
48	लखनऊ	491	491
49	महाराजगंज	882	882
50	महोबा	273	273
51	मैनपुरी	549	549
52	मथुरा	495	495
53	मऊ	645	645
54	मेरठ	479	479
55	मिर्जापुर	809	809
56	मुरादाबाद	643	643
57	मुजफ्फरनगर	487	487
58	पीलीभीत	720	720
59	प्रतापगढ़	1148	1148
60	प्रयागराज	1540	1540
61	रायबरेली	980	980
62	रामपुर	680	680
63	सहारनपुर	884	884
64	संभल	670	670
65	संत कबीर नगर	730	730
66	संत रविदास नगर	546	546
67	शाहजहांपुर	1068	1068
68	शामली	230	230
69	श्रावस्ती	397	397
70	सिद्धार्थ नगर	1136	1136
71	सीतापुर	1588	1588
72	सोनभद्र	621	621
73	सुल्तानपुर	979	979
74	उन्नाव	1037	1037
75	वाराणसी	694	694
कुल		**57691**	**57691**

अनुलग्नक- IV

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वीकृत पंचायत भवन के निर्माण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्रम सं.	**राज्य**	**2022-23**	2023-24	2024-25
		स्वीकृत भवन	**स्वीकृत भवन**	**स्वीकृत भवन**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	617
3	अरुणाचल प्रदेश	939	540	661
4	असम	261	432	349
5	बिहार	500	280	136
6	छत्तीसगढ़	54	0	210
7	दादरा और नगर हवेली	13	0	4
8	दमन और दीव			
9	गोवा	1	1	0
10	गुजरात	0	15	412
11	हरियाणा	383	0	509
12	हिमाचल प्रदेश	292	101	119
13	जम्मू और कश्मीर	500	500	970
14	झारखंड	0	0	0
15	कर्नाटक	0	0	258
16	केरल	7	0	0
17	लद्दाख	0	0	3
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	0	0	50
20	महाराष्ट्र	513	439	961
21	मणिपुर	27	11	27
22	मेघालय	6	30	24
23	मिजोरम	246	330	335
24	नागालैंड	84	134	183
25	ओडिशा	0	0	0
26	पुदुचेरी	0	0	0
27	पंजाब	259	89	500
28	राजस्थान	43	32	10
29	सिक्किम	25	20	19
30	तमिलनाडु	0	0	146
31	तेलंगाना	675	182	286
32	त्रिपुरा	44	42	14
33	उत्तराखंड	100	180	684
34	उत्तर प्रदेश	973	615	126
35	पश्चिम बंगाल	0	35	117
	कुल*	**5969**	**4008**	**7730**

*** अनुमोदित पंचायत भवन में पिछले वर्ष का कैरीओवर भी शामिल है।**

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानके तहत कंप्यूटर की खरीद को मंजूरी

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
		स्वीकृत कंप्यूटर	स्वीकृत कंप्यूटर	स्वीकृत कंप्यूटर
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	500	500	1922
3	अरुणाचल प्रदेश	800	400	600
4	असम	500	500	687
5	बिहार	267	267	2267
6	छत्तीसगढ़	0	600	5896
7	दादरा और नगर हवेली	0	0	4
8	दमन और दीव			
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	0	0	0
11	हरियाणा	0	0	1363
12	हिमाचल प्रदेश	334	0	0
13	जम्मू और कश्मीर	318	1000	1000
14	झारखंड	240	0	2066
15	कर्नाटक	0	0	0
16	केरल	0	0	0
17	लद्दाख	63	60	64
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	0	0	289
20	महाराष्ट्र	0	0	945
21	मणिपुर	60	60	81
22	मेघालय	1177	1677	1677
23	मिजोरम	591	591	573
24	नागालैंड	244	244	345
25	ओडिशा	0	50	100
26	पुदुचेरी	0	0	0
27	पंजाब	0	0	8334
28	राजस्थान	1554	0	0
29	सिक्किम	185	50	50
30	तमिलनाडु	0	0	1594
31	तेलंगाना	1812	1812	3452
32	त्रिपुरा	475	475	475
33	उत्तराखंड	0	500	3760
34	उत्तर प्रदेश	3145	3145	0
35	पश्चिम बंगाल	0	0	112
	कुल	**12265**	**11931**	**37656**

***स्वीकृत कम्प्यूटरों में पिछले वर्ष का कैरी ओवर भी शामिल है**

अनुलग्नक- V

भवन विहीन एवं कम्प्यूटर विहीन ग्राम पंचायत भवन की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	कम्प्यूटर के बिना जी.पी.एस.	भवन के बिना जीपी
1	आंध्र प्रदेश	3771	1849
2	अरुणाचल प्रदेश	1136	1134
3	असम	1152	713
4	बिहार	1	6607
5	छत्तीसगढ़	5896	0
6	गोवा	0	8
7	गुजरात	110	806
8	हरियाणा	4498	3135
9	हिमाचल प्रदेश	0	315
10	जम्मू और कश्मीर	0	827
11	झारखंड	1033	88
12	कर्नाटक	0	460
13	केरल	0	0
14	मध्य प्रदेश	289	289
15	महाराष्ट्र	953	3364
16	मणिपुर	3651	3678
17	मेघालय	2103	1491
18	मिजोरम	582	402
19	नागालैंड	720	618
20	ओडिशा	0	0
21	पंजाब	13238	4904
22	राजस्थान	10	10
23	सिक्किम	50	19
24	तमिलनाडु	2425	831
25	तेलंगाना	8335	4883
26	त्रिपुरा	491	1165
27	उत्तर प्रदेश	0	1055
28	उत्तराखंड	4990	1230
29	पश्चिम बंगाल	0	112
केंद्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान और निकोबार	0	8
2	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	4
3	लक्षद्वीप	10	10
4	लद्दाख	64	3
5	पुदुचेरी	108	108
	कुल	**55616**	**40126**

****